राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक :प.2(1)पर्यटन/2006 जयपुर, दिनांक 16.3.15

अधिसूचना

राज्य की पर्यटन इकाई नीति–2007 की कार्यशील अवधि दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् आगामी तीन माह के लिए दिनांक 30 जून, 2015 अथवा नई पर्यटन इकाई नीति जारी होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है।

यह अधिसूचना माननीय पर्यटन राज्यमंत्री महोदया (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान से प्राप्त अनुमोदन (आई.डी.संख्या 97/MOS/T/15 दिनांक 12.03.2015) के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(मूल चन्द) 16/3/15
उप शासन सचिव

क्रमांक : प.2(1)पर्यटन/2006 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान विशेषाधिकारी, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीया पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन जारी करावें।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन जारी करावें।
9. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन जारी करावें।
10. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, उद्योग भवन, जयपुर।
11. आयुक्त, ब्यूरों ऑफ इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करावें।
14. नोडल अधिकारी, सिंगल विण्डों सिस्टम, ब्यूरों ऑफ इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), पर्यटन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावें।
16. समस्त जिला कलक्टर, ...
17. समस्त संबंधित पर्यटन सूचना केन्द्र/स्वागत केन्द्र.................
18. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...

(मूल चन्द)
उप शासन सचिव